मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झॉसी

प्रकीर्ण वाद संख्या 38/2020 (एम.ए.सी.पी. सं. 308/2017)
श्रीमती रश्मि सिंह आदि बनाम सन्तोष कुमार आदि
10.06.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार करायी गयी। प्रार्थीगण/याचीगण मय विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित आये।

3B प्रार्थनापत्र जिसे शपथपत्र प्रपत्र संख्या 4C2 से समर्थित किया गया है, में प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती रश्मि सिंह आदि ने प्रार्थना की है कि याचिका में न्यायाधिकरण के निर्णय / आदेश के विरूद्ध विपक्षी बीमा कम्पनी माननीय उच्च न्यायालय अपील में गयी हुयी है, जिसमें आदेश हुआ है कि 50 प्रतिशत धनराशि नकद दे दी जाय तथा 50 प्रतिशत धनराशि याचीगण को जमानत लेकर दे दी जाय। जमाशुदा धनराशि याचीगण उठा पाने के अधिकारी हैं अतः जमाशुदा धनराशि याचीगण प्रार्थीगण/याचीगण को दिलाये जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय, प्रार्थीगण 50 प्रतिशत धनराशि पर जमानत देने को तैयार हैं।

विपक्षी दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी की ओर से 11C1 आपत्ति इस आशय की दाखिल की गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश प्राप्त होने तक एवार्ड की धनराशि सुरक्षा की दृष्टि से न्यायालय में जमा रखने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

मैंने पत्रावली का परिशीलन किया। प्रार्थीगण ने अपने कथन के समर्थन में श्रीमती रश्मि सिंह का शपथपत्र, फैहरिस्त 6C1 से 7C1/2 लगायत 7C1/7 एम.ए.सी.पी.सं. 308/2017 में पारित निर्णय की सत्यप्रतिलिपि, 8C1/3 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. सं. 3395/2019 में पारित आदेश दिनांकित 20.12.2019 की सत्यप्रति एवं अपने–अपने आधार कार्ड एवं खातों की छाया प्रतियां दाखिल की हैं। मांग पर मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई है बल्कि यह आख्या प्रेषित की गई है कि पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित कर दी गई है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया गया है कि धनराशि अवमुक्त किए जाने के बाद ही पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित की जाएगी। जिला न्यायालय, झॉसी की वेब साइट पर एम.ए.सी.पी. सं. 308/2017 में पारित निर्णय भी उपलब्ध है। साक्षी सी.डब्लू.–1 छोटे लाल पार्षद को परीक्षित किया गया है जिन्होंने प्राथीगण की शिनाख्त की है। चैक पंजिका के क्रमांक 55 पर उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित धनराशि पंजाब नेशनल बैंक के न्यायाधिकरण के खाते में जमा होना दर्शित है। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा एस.एल.पी. दाखिल करने की इच्छा मात्र से, रिलीज प्रार्थनापत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि एस.एल.पी. में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा धनराशि की अवमुक्ति पर रोक न लगा दी जाय। कोविड 19 के प्रभाव के कारण कारण प्रार्थीगण सिक्योरिटी दाखिल करने में सक्षम नहीं है अतः जमाशुदा धनराशि का पचास प्रतिशत ही अवमुक्त किया जाना न्याय संगत होगा। तदनुसार पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झॉसी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थिया/याचिया सं. 2 कु. चिया के नाम मुबलिग 43,32,450/–की एफ.डी.आर. में उसके वयस्क होने तक के लिये निवेशित करें तथा प्रार्थी/याची सं–1 रश्मि सिंह को मुब. 8,66,490/–नकद उनके खाता सं. 7525000100053785 पं. ने. बैंक, शाखा शिवपुरी रोड, झांसी में

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.10 18:35:26 UTC
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI

आर.टी.जी. एस./ नेफ्ट के माध्यम से तुरन्त स्थानान्तरित करें तथा 34,65,960/– उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना के तहत एक वर्ष के लिये निवेशित करें। उक्त जमाशुदा धनराशि में से प्रार्थी/याची सं. 3 किशन लाल को 2,50,000/– नकद उनके खाता सं. 1604622929 सेन्ट्रल बैंक शाखा प्रेम नगर, झांसी में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से तुरन्त स्थानान्तरित करें तथा 10,00,000/– उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना के तहत एक वर्ष के लिये निवेशित करें एवं प्रार्थी/याची सं. 4 श्रीमती रामकली मुब. को 2,50,000/– नकद उनके खाता सं. 1604632664 सेन्ट्रल बैंक, शाखा प्रेमनगर, झांसी में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से तुरन्त स्थानान्तरित करें एवं 10,00,000/– उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना के तहत एक वर्ष के लिये निवेशित करें। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण/याचीगण सं. 1 लगायत 4 के नाम धनराशि जमा कर एफ.डी.आर. इस न्यायाधिकरण में दाखिल की जाये एवम् उक्तानुसार धनराशि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आख्या न्यायाधिकरण में दाखिल जावे। 3C2 प्रार्थनापत्र व विपक्षी बीमा कम्पनी की आपत्ति 11C1 तदनुसार निस्तारित।

अवशेष राशि की अवमुक्ति के लिए पत्रावली 06/07/2020 को पेश हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.एम.ए.सी.टी., झांसी।